तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज युसुफ बनाम अब्दुल रहमान वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2018	वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी भूमी खसरा नम्बर 465 रकबा 1.72 है. किस्म जवाई नहरी I ग्राम साण्डेराव पटवार हल्का साण्डेराव I तहसील सुमेरपुर में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अप्रार्थीगण युसुफ पुत्र अल्लादीन वगैरा के खातेदारी खसरा नम्बर 459 व 460 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया जिसका उपयोग वह पूर्व से करता आ रहा है। इस पर प्रार्थी युसुफ द्वारा निवेदन किया गया कि 464 व 465 के बीच माठ से होते हुए रास्ता अब्दुल रहमान के खेत खसरा नम्बर 465 तक जाता है। उक्त रास्ता दिए जाने का निवेदन किया जिसकी कुल लम्बाई 124 मीटर है, इस पर उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा ड़ांटते हुए एवं झिड़कते हुए अदृश्य कारणों से अब्दुल रहमान का पक्ष करते हुए रास्ता देने का आदेश उनके अनुसार देने एवं उसे मानने का दबाव डाला। प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध 124 मीटर लम्बे रास्ते के स्थान पर प्रार्थीगण युसुफ पुत्र अल्लादीन वगैरा के खेत में से रास्ता देने पर आमादा है, जो 170 मीटर लम्बा है, इस से व्यथित होकर निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रकरण अन्य उपखण्ड न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार फरमाकर प्रकरण अन्यत्र उपखण्ड न्यायालय में सुनवाई कर निष्पक्ष आदेश पारित कराने हेतु स्थानांतरित कराने का हुक्म प्रदान करावें। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार विकल्प संख्या 1 का रास्ता की लम्बाई 170 मीटर है व विकल्प संख्या 2 के रास्ते की लम्बाई 124 मीटर फिर भी विकल्प संख्या 1 का रास्ता लघुतम व निकटतम व उपयुक्त रास्ता बताया है, अन्य कथन अस्वीकार किए गए है। वकील अप्रार्थी सं. 1 अब्दुल रहमान पुत्र अनवर खां द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण अन्य किसी भी उपखण्ड न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उनको किसी प्रकार का एतराज नहीं है, उन्होंने प्रकरण अन्य अपखण्ड न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु सहमती जाहिर की है। परिणाम स्वरूप उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 16/2017 बअनवान अब्दुल रहमान बनाम बरकत अली व अन्य को अग्रिम सुनवाई का निष्पक्ष निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी रानी के न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के उपखण्ड अधिकारी रानी को प्रेषित की जावे, निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। मेरे द्वारा आज दिनांक 23.10.2018 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलेक्टर पाली (राज.) जिला कलक्टर, पाली	